

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †1766
सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

चिकित्सा पर्यटन हब का विकास

†1766. श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत चिकित्सा पर्यटन के केन्द्र के रूप में उभरा है;
- (ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान भारत आने वाले चिकित्सा पर्यटकों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) विगत पांच वर्षों के दौरान भारत में उपचार के लिए आने वाले विदेशी पर्यटकों के कारण राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितना राजस्व अर्जित हुआ है;
- (घ) क्या सरकार ने उन ऑपरेशनों/चिकित्सा की श्रेणी के संबंध में कोई अध्ययन किया है जिनके लिए विदेशी भारत आते हैं और यदि हां, तो वे किन-किन देशों से आते हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार देश के छोटे/टियर-2 शहरों में चिकित्सा पर्यटन हब विकसित करने के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ङ): देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने चिकित्सा और निरोगता पर्यटन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यनीति एवं रोडमैप तैयार किया है। इस कार्यनीति में निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों को अभिज्ञात किया गया है:

- (i) निरोगता गंतव्य के रूप में भारत के लिए एक ब्रांड विकसित करना
- (ii) चिकित्सा एवं निरोगता पर्यटन के लिए ईको सिस्टम को मज़बूत बनाना
- (iii) ऑनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) पोर्टल की स्थापना द्वारा डिजीटलीकरण को संभव बनाना
- (iv) मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए पहुँच में वृद्धि करना
- (v) निरोगता पर्यटन को बढ़ावा देना
- (vi) शासन एवं संस्थागत कार्यढाँचा

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से मिली सूचना के अनुसार यह देश में मैडिकल वैल्यू ट्रेवल के संवर्धन के लिए अन्य मंत्रालयों तथा हितधारकों के साथ समन्वय कर रहा है। इस क्षेत्र की चुनौतियों और अवसरों को चिह्नित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों, अस्पतालों, एमवीटी सुविधाप्रदाताओं, बीमा कंपनियों और एनएबीएच आदि के साथ हितधारक परामर्शों के अनेक दौर आयोजित किए गए हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि कुछ चुनिंदा देशों में आधुनिक और परंपरागत चिकित्सा पद्धति में भारत की प्रतिस्पर्धी शक्ति के संवर्धन के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रकार एमवीटी के संवर्धन के लिए चिह्नित अस्पतालों (आधुनिक चिकित्सा तथा आयुष), हवाई अड्डों, वीजा तंत्र आदि के सुदृढीकरण और संवर्धन के लिए कार्रवाई की जा रही है।

चिकित्सा हेतु पर्यटक आगमन की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या का विवरण पर्यटन मंत्रालय द्वारा तैयार नहीं किया जाता है तथापि 2017-2021 के दौरान चिकित्सा के लिए विदेशी पर्यटक आगमन का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष 2017 से 2021 के दौरान चिकित्सा के लिए विदेशी पर्यटक आगमन

| वर्ष | चिकित्सा प्रयोजन (लाख रु. में) |
|------|--------------------------------|
| 2017 | 4.95 |
| 2018 | 6.44 |
| 2019 | 6.97 |
| 2020 | 1.83 |
| 2021 | 3.04 |

स्रोत:आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई)

पर्यटन मंत्रालय द्वारा चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों से प्राप्त राजस्व का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण तैयार नहीं किया जाता है।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा उन शल्य चिकित्साओं/चिकित्सकीय हस्तक्षेपों की श्रेणी के संबंध में कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया है जिनके लिए विदेशी पर्यटक भारत आते हैं।
